न्यायालय तहसीलदार तहसील आधारताल, जबलपुर

रा.प्र.क्र./ 2301 एवं 2453 /अ–6/2023–2024 जबलपुर, दिनांक 06/10/2023

//आम इश्तहार//

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रारूप उन्नीस नियम 20 म.प्र.भूराजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में सर्वसाधारण के लिए यह उद्घोषणा जारी की जाती है कि म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 56 (2) के तहत नगर विकास योजना कमांक TDS 02/JBP/2020 म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम निवेश (संशोधन) 2019 के ग्राम रैंगवां, रक्शा, बसहा, कचनारी, सिमरिया, करमेता, 30.00 मी. मार्ग सहित योजना में सम्मिलित भूमि एवं प.ह.नं. 77 कुल रकवा 144.259 हे0 तथा योजना कमांक TDS 03/JBP/2020 के ग्राम कुदवारी, गुरदा 50.00 मी. मार्ग सहित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत धारा 49 की उपधारा 3 के उपबंध ढ के अनुसार भूमि स्वामी के मूल भूखण्ड में से 50 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण कर शेष भूमि पर अधोसंरंचना विकास कर भूमि के मूल्य में अभिवृद्धि आकलन प्रपत्र उन्नीस क,ख एवं ग किया जाकर उद्ग्रहित किये जाने वाले अभिदाय की गणना की गयी है धारा 50(11) के प्रावधानों के अनुसार अंतिम नगर विकास स्कीम का संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत स्कीम का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र में दिनांक 15.07.2022 एवं 03.02.2023 को किया जाकर योजना का प्रवर्तन दिनांक 15.07.2022 एवं 03.02.2023 को हो चुका है। अधिनियम की धारा 50(12) के प्रावधान अनुसार संचालक अनुमोदन उपरांत अधोसंरचना हेतु भूमि 50(12)(एक) जहां नगर विकास स्कीम प्रवर्तन में आई है में निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा आपेछित समस्त भूमियों, सभी प्रकारों के ऋण भारों से मुक्त होकर नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण में पूर्णतः निंहित होगी।योजना की समस्त कार्यवाही धारा 49 एवं 50 के प्रावधानों के पूर्ण करने उपरांत योजना कमांक TDS 03/JBP/2020 एवं योजना कमांक TDS 02/JBP/2020 का राजस्व रिकार्ड में संशोधन, दावा, आपत्ति, आमंत्रण एवं MPLRC-1959 अध्याय 7 के अंतर्गत नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। अधिकार अभिलेखों की प्रति एतदद्वारा जबलपुर विकास प्राधिकरण के पोर्टल www.vikashpradhikaran.mponline.govt.in पर प्रदर्शित की गई है, जिसमें प्रस्तावित संशोधनों के समस्त ब्यौरे वर्णित है।

राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप कमांक एफ 2–1/2019/सात/शा–7 भोपाल दिनांक 26.02.2019 के अनूसार सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक तथा भूखण्ड संख्यांक

तहसीलदार
आधारताल जबलपुर

के पुनर्कमांकित करने या उपविभाजित करने या समामेलित करने की शक्तियां तहसीलदार को प्राप्त होने से विज्ञापन का प्रकाशन किया जा रहा है।

इस उद्घोषणा में उपर दी गई दिनाँक का अवसान हो जाने पर दावों तथा आपत्तियों पर विचार नही किया जाएगा।

तहसीलदार
अधारताल, जबलपुर

जारी दिनांक – 06/10/23
पेशी दिनांक – 20/10/23
पृ0 कमांक 1130 / री0तह0अधा0 / 2023 जबलपुर, दिनांक 06/10/23

प्रतिलिपि –
1. दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
2. कलेक्ट्रेड जबलपुर की जिला नाजिर के चस्पा बोर्ड में।
3. जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
4. न्यायालय तहसीलदार अधारताल के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

तहसीलदार
अधारताल, जबलपुर